137

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 97–दो/2006 विरूद्व आदेश दिनांक 21–12–2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 197/04–05 अपील

1– राममिलन नाई पुत्र रामदेव
मृतक वारिस
(अ) रामप्रसाद (ब) शिवप्रसाद
पुत्रगण स्व.राममिलन ग्राम पडरा तह. रायपुर कर्चु.
(स) श्यामकली पत्नि राजबहादुर
ग्राम रायपुर तह. रायपुर कर्चु.
(द) लालीवती पत्नि रामराज नाई
ग्राम सहिपुरा तहसील रामनगर जिला सतना
(क) लक्ष्मी पत्नि राजबहोरन
ग्राम मधुरी तहसील गोपदबनास जिला सीधी
(ख) सरोज पत्नि राजेश नाई
ग्राम पिपरवार तहसील मनगवां जिला रीवा
(ग) सुशील पत्नि अजमेर नाई
ग्राम खजूरी तहसील गोपदबनास जिला सीधी
(घ) शीला पत्नि प्रभूदयाल ग्राम खजूरी
तहसील गोपदबनास जिला सीधी
2– रामप्रकाश नाई पुत्र रामदेव
ग्राम पडरा तहसील रायपुर कर्चु.जिला रीवा ———आवेदकगण

विरूद्व

शंकरप्रसाद पुत्र भैयालाल अग्निहोत्री
ग्राम पड़रा तहसील रायपुर कर्चु.जिला रीवा ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थि–एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 11 –8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण 197/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 167 अ 74/02–03 में पारित आदेश दिनांक 24–9–2003 से अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के प्रकरण कमांक 68 अ–6/92–93 में पारित आदेश दिनांक 30–9–77 के अनुसार भूमि सर्वे कमांक 141, 142, 143, 144 के हिस्सा 1/3 शंकर प्रसाद के स्थान पर भैयालाल अग्निहोत्री को सहखातेदार के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चु. ने प्रकरण कमांक 18 अ 74/03–04 में पारित आदेश दिनांक 14–7–04 से अपील प्रकरण का निराकरण किया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चु. को निर्देश देते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि वह पुनः बोलता हुआ आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 87/अ–74/03–04 में पारित आदेश दिनांक 17–6–2005 से निर्णय लिया कि उनके व्दारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 14–7–2004 यथावत् रखा जाता है तथा प्रकरण को व्यवहार न्यायालय के अंतिम आदेश तक स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 197/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 से अपील निरस्त कर दी एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17–6–2005 को यथावत् रखा। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण कमांक 87/अ–74/03–04 में पारित आदेश दिनांक 17–6–2005 तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा केप्रकरण कमांक 197/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत हुई अपील में कार्यवाही इसलिये अवरूद्व की है क्योंकि वाद विचारित भूमि पर स्वत्व के सम्बन्ध में व्यवहार वाद लम्बित है और जब तक माननीय व्यवहार न्यायालय से प्रकरण अंतिम विनिश्चित नहीं होता है राजस्व न्यायालय भूमि पर स्वत्व किसका है, कार्यवाही नहीं होगी। माननीय व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण वादग्रस्त भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रचलित होने से राजस्व न्यायालय में कार्यवाही संभव नहीं है और जैसे ही माननीय व्यवहार न्यायालय से वाद विचारित भूमि के स्वत्व वावत् अंतिम निर्णय होगा, राजस्व न्यायालय पालन हेतु बाध्य है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान व्दारा प्रकरण कमांक 87/अ–74/03–04 में पारित आदेश दिनांक 17–6–2005 तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 197/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 197/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर